प्रेस-नोट
दिनाकं – 27.01.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के दृष्टिगत गोण्डा-अयोध्या मार्ग पर भ्रमण कर ट्रैफिक डायवर्जन एवं यातायात प्रबंधन की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

रूट डायवर्जनों का कड़ाई से पालन कराने तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाने हेतु सम्बन्धित को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 27.01.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा श्रद्धालु की भीड़ के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं के सुगम यात्रा के लिए जनपद गोण्डा-अयोध्या मार्ग पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। भ्रमण के दौरान रूट डायवर्जन प्वाईंट दर्जी कुआं/नवाबगंज/मनकापुर रोड़ पर लगे पुलिस बलों को चेक किया गया तथा यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने व सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही साथ समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल क्षेत्र में व समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के आने जाने वाले मार्गों व रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त करने, हाइवे व अन्य लिंक रोड पर वाहनों की सघन चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.01.2025

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करने के 02 आरोपी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–269/24, धारा 115(2),352,351(3),338,336(3),340(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण–01. श्यामचन्द्र पुत्र रामलोचन, 02. ज्ञानमती पत्नी श्यामचन्द्र निवासीगण श्रीनगर बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को श्रीनगर बाबागंज से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादिनी श्रीमती गायत्री देवी पत्नी जगप्रसाद नि0 श्रीनगर बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 27.01.2025 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विवेचना में दोषी पाए आरोपी अभियुक्तगण–01. श्यामचन्द्र, 02. ज्ञानमती को उनके घर श्रीनगर बाबागंज से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. श्यामचन्द्र पुत्र रामलोचन नि0 श्रीनगर बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा
02. ज्ञानमती पत्नी श्यामचन्द्र नि0 श्रीनगर बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–269/24, धारा 115(2),352,351(3),338,336(3),340(2) बीएनएस थाना धानेपुर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 कमलेश यादव।
02. उ0नि0 परशुराम सिंह।
03. उ0नि0 रूदल प्रसाद दूबे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 27.01.2025

गैंगस्टरो की अपराध से अर्जित अवैध सम्पति कीमत 1,09,41,000/- रुपयें की 03 मकान मय भूमि व 05 अदद मोटर साइकिलें कुर्क/जब्त

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत संगठित गिरोह बनाकर मारपीट व गैर इरादतन हत्या करने के अपराध में संलिप्त अभियुक्त 1. बलराम तिवारी उर्फ शिवकुमार तिवारी पुत्र महादेव तिवारी निवासी बेलवा दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा (गैंग लीडर) द्वारा अपने अपराधिक कृत्यों से अर्जित किये गये रुपयों से क्रय की गयी 03 मकान मय भूमि व 04 अदद मोटर साइकिल तथा 2. अनिल कुमार पुत्र शेषराम उर्फ शेषनारायण दूबे निवासी ग्राम विचऊपुरवा दरियापुर हरदोपट्टी थाना कोतवाली इटियाथोक जनपद गोण्डा (गैंग सदस्य) द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित किये गये रुपयों से क्रय की गयी 01 अदद मोटर साइकिल अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी जनपद गोण्डा के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम के द्वारा जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों के 05 अदद मोटरसाइकिलों को कब्जे मे लेकर थाना धानेपुर पर दाखिल किया गया है। जब्त किये गये मकान मय भूमि व 05 अदद वाहनों की कीमत करीब 10941000/- रुपयें (एक करोड़ नौ लाख इक्तालिस हजार रूपये) है। इस कार्यवाही से संगठित गिरोह बनाकर मारपीट करने व गैर इरादतन हत्या करने के अपराध मे लिप्त अपराधियों मे भय का माहौल व्याप्त है। गैंगस्टरों के विरुद्ध उनके द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही आगे भी निरन्तर चलती रहेगी। जब्त किये गये मकान मय भूमि व वाहनों एवं टीम का विवरण निम्नवत हैः—

जब्त सम्पत्ति का विवरण

1. गाटा संख्या-342/0.7801 हे0 में 0.42 हे0
2. गाटा संख्या- 474/0.432 हे0 में 0.081 हे0
3. गाटा संख्या -255मि/0.837 हे0में 0.418 हे0
4. गाटा संख्या-255 मकान मय भूमि मूल्यांकित राशि 37,34,000.00 (सैंतिस लाख चौंतीस हजार रूपये)
5. गाटा संख्या-346 (मकान) मुल्यांकन राशि 40,92,000.00 (चालीस लाख बानबे हजार रूपये)
6. गाटा संख्या -386(मकान व भूमि) मूल्यांकन राशि 30,03,000.00 (तीस लाख तीन हजार रूपये)

जब्त वाहन का विवरण

1. वाहन संख्या यूपी0 43 आर 6065 (हीरो पैशन प्रो) मूल्यांकन राशि 12000.00 (बारह हजार रूपये)
2. वाहन संख्या यूपी0 43 ए यू 6402 (टी0वी0एस0 अपाचे) मूल्यांकन राशि 35000.00 (पैंतिस हजार रूपये)
3. वाहन संख्या यू0पी0 43 ए एफ 8673 (स्पलेण्डर) मूल्यांकन राशि 22000.00 रू0 (बाईस हजार रूपये)
4. वाहन संख्या यूपी0 43 एक्स 7721 (हीरो पैशन प्रो) मूल्यांकन राशि 16000.00 रू0 (सोलह हजार रूपये)

5. वाहन संख्या यूपी0 43 ए वी 0770 (हीरो एच एफ डिलक्स) मूल्यांकन राशि 27000.00 रू0 (सत्ताईस हजार रूपये)

अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण

01. मु0अ0सं0 233/2023 धारा 147,149,323,504,506,304,427,120बी भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 042/2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

कुर्की करने वाली टीम का विवरण

उपजिलाधिकारी सदर श्री अवनीश त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना धानेपुर श्री राकेश कुमार राय सहित पुलिस/राजस्व के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा